म.प्र.शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
तथा
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/6718/MGNREGS-MP/NR-3/2015, भोपाल, दिनांक 27/06/2015

प्रति,

संभागायुक्त, समस्त संभाग
कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला –समस्त (म.प्र.)

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा व उद्यानिकी विभाग के तकनीकी अभिसरण से शासकीय रोपणी का सुदृढीकरण एवं पौध उत्पादन कार्यक्रम के संबंध मे दिशा निर्देश।

भारत सरकार से प्राप्त निर्देश क्र. F.No. 9-5/2015/GIM/MGNREGS दिनांक 03.03.2015 के द्वारा **ग्रीन इंडिया मिशन** के तहत मनरेगा एवं जी. आई. एम. कनवर्जेन्स गाइडलाइन जारी की गयी है, जिसके अंतर्गत मनरेगा में पात्र हितग्राहियों की आजीविका को उद्यानिकी, रेशम, वृक्षारोपण एवं फॉर्म फोरेस्टी से जोड़ने हेतु निर्देश प्राप्त हुये है, जिसके तहत पूरे देश में आने वाले 10 वर्षों में 50 लाख हेक्टेयर में वृक्षारोपण करके 30 लाख मनरेगा पात्र परिवारों को जोड़ने का भारत सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया है।

विषय के संबंध में प्राप्त गाईडलाईन के आधार पर महात्मा गांधी नरेगा व उद्यान विभाग के तकनीकी अभिसरण से नवीन बागान की स्थापना के क्षेत्र में पौधों की व्यवस्था हेतु शासकीय रोपणी का सुदृढीकरण एवं पौध उत्पादन कार्यक्रम की कार्ययोजना निम्नानुसार हैः–

1. प्रस्तावनाः–

प्रदेश में वृहद स्तर पर फल पौधरोपण कराये जाने की योजना है जिसके लिये गुणवत्ता युक्त उन्नत किस्म के पर्याप्त पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, इस हेतु उद्यान विभाग की पूर्व से स्थापित 287 रोपणियों का सुदृढीकरण आवश्यक है जहॉ की मॉग अनुसार पर्याप्त पौधों का उत्पादन किया जा सके। मनरेगा योजना से रोपणी विकसित करने का प्रमुख उद्देश्य पौधों की आवश्यकता आगामी वर्षों के लक्ष्यों के अनुसार पौधों का उत्पादन किया जाना है,ताकि आने वाले वर्षों में स्वयं के उत्पादित पौधे उपलब्ध हो सके, पौधे बाहर से क्रय न करना पड़े, साथ ही स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो सके।

2. प्रस्तावित कार्ययोजना के अन्य उद्देश्यः –

- मनरेगा में पात्र हितग्राहियों (जॉबकार्डधारियों) को उनकी मांग अनुसार 100 दिवस का रोजगार (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत) प्रदाय करने के साथ उनके निजी स्वामित्व वाली भूमि पर स्व– रोजगार के अवसर प्रदान करना।
- स्थानीय स्तर पर रोपणियॉ विकसित कर पौध उत्पादन करके स्थानीय पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल गुणवत्ता, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्वि कर मध्यप्रदेश निर्माण के घोषित संकल्प बिन्दु क 21 की पूर्ति करना।
- युवा व शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना।
- खेतीहर मजदूरों को रोजगार प्रदाय कर ग्रामों से शहर की ओर पलायन करने से रोकना।

3. कार्यक्षेत्रः– योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा। ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित उद्यान विभाग की सभी रोपणियॉ का चयन किया जावेगा।

4. लक्ष्यों का निर्धारणः– उद्यान विभाग प्रत्येक रोपणी पर प्रतिवर्ष औसत 50000 पौधों का उत्पादन किया जाकर कुल 287 रोपणियों में लगभग 1.4 करोड़ पौधे प्रदेश में उत्पादित कर रोपण के लिये उपलब्ध कराये जावेंगे जिसमें बीजू एवं कलमी पौधे शामिल होंगे। जिले/रोपणीवार पौध उत्पादन हेतु लक्ष्यों का निर्धारण संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी भोपाल द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

5. वर्ष 2015 में स्वीकृत कार्ययोजना पर अनुमानित प्रस्तावित व्ययः–

क.	नाम गतिविधी	पौध संख्या लाख	प्रथम वर्ष में व्यय करोड़	द्वितीय वर्ष मे व्यय करोड़	तृतीय वर्ष में व्यय करोड़	चतुर्थ वर्ष में व्यय करोड़	पंचम वर्ष में व्यय करोड़	कुल योग व्यय करोड़
1	मातृ वृक्षरोपण	3.0	15	7.5	3.0	2.5	2.0	30
2	पौध उत्पादन	140	9.8	9.1	9.1	–	–	28
3	कूप निर्माण	287(नग)	10	–	–	–	–	10
	योग		**34.8**	**16.6**	**12.1**	**2.5**	**2.0**	**68**

6. योजना का स्वरूपः–

6.1 रोपणियों पर मातृ वृक्षखण्ड की स्थापनाः– उद्यान विभाग की रोपणियॉ लगभग 30 वर्ष पूर्व स्थापित की गयी थी जिसके फलस्वारूप उन पर रोपित मातृ वृक्ष जीर्ण–शीर्ण हो चुके है एवं वर्तमान स्थिति में नवीन उन्नत प्रजातियों के रोपण की महती आवश्यकता है। इसके लिये जिले की जलवायु एवं संभावनाओं के आधार पर प्रजातियों का चयन कर उन्नत किस्म के मातृ वृक्षखण्ड स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि इनके माध्यम से उन्नत किस्म के पौधे रोपण हेतु उपलब्ध करायें जा सके, उक्त मातृ वृक्ष का रोपण शासकीय रोपणियों की रिक्त भूमि पर भी किया जा सकेगा। मातृ वृक्ष रोपण में रोपण से लेकर 5 वर्ष तक का प्रबंधन कार्य किया जावेगा।

6.2 मातृ वृक्षखण्ड की स्थापना हेतु फेन्सिग व्यवस्थाः– शासकीय भूमि पर 2 हेक्ट. अथवा उससे अधिक क्षेत्र में मातृ वृक्षों का रोपण होने की स्थिति मे वायरब्रिड, वायर फेन्सिग, पशु अवरोधक खंती, पशु अवरोधक दीवाल का निर्माण किया जा सकेगा।

6.3 सिचाई व्यवस्था हेतु कपिल धारा कूप का निर्माणः— रोपणी पर सिचाई व्यवस्था पर्याप्त न होने की स्थिति में शासकीय भूमि पर कूप का निर्माण मनरेगा योजना से किया जा सकेगा जिस हेतु पृथक से डीपीआर का निर्माण कर ग्राम पंचायत से एसओपी नंबर प्राप्त कर कार्य कराया जा सकेगा।

6.4 सिचाई व्यवस्था हेतु जल संग्रहण टंकी का निर्माणः— प्रत्येक रोपणी पर 15000 लीटर जल क्षमता टंकी का निर्माण रोपणी के अपर स्थल पर किया जा सकेगा ताकि विद्युत व्यवस्था आदि न रहने की स्थिति में उक्त जल का प्रयोग मातृ वृक्षों के रख–रखाव एवं पौध उत्पादन कार्य में किया जा सकेगा।

6.5 कार्य करने हेतु वर्कशेड का निर्माणः— वर्षाकाल में मिट्टी व खाद रखने हेतु पॉलीथिन बैग भरने हेतु अस्थायी खुला वर्कशेड का निर्माण किया जा सकेगा।

7. ग्राम पंचायत का उत्तरदायित्वः— पौध उत्पादन एवं मातृ वृक्ष रोपण की स्थापना हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाकर ग्राम सभा में पारित करते हुये सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल करने का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत का होगा।

8. उद्यान विकास अधिकारी के उत्तरदायित्वः— रोपणी प्रभारी होने के फलस्वरूप लगाये गये मातृ वृक्षों को 90 प्रतिशत जीवित रखने एवं लक्ष्य अनुसार पौध उत्पादन करने हेतु पूर्ण रूपेण जवाबदार होंगे। आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी एवं सहायक/उप संचालक उद्यान से प्राप्त करेगा।

9. वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी के उत्तरदायित्वः— रोपणी पर पौध उत्पादन एवं मातृ वृक्षों का रख–रखाव अपनी देखरेख में उद्यान विकास अधिकारी के माध्यम से कराया जावेगा जिसमें आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी द्वारा प्रदाय किया जावेगा।

10. मूल्यांकन कर्ता अधिकारीः— कार्यों का मूल्यांकन अधिनस्थ वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी के द्वारा किया जावेगा, एवं एम.बी. का संधारण किया जावेगा, साथ ही एम.बी. में दर्ज अभिलेखों का सत्यापन जिले के सहायक संचालक अथवा उपसंचालक उद्यान द्वारा किया जावेगा। मातृ वृक्ष **रोपण के तत्काल उपरांत व प्रत्येक 3 माहों में उद्यानिकी विभाग के ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं मनरेगा में पदस्थ सहायक संचालक उद्यान/सहायक उद्यानिकी अधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से किये जा रहे कार्यों का सत्यापन/मूल्यांकन किया जावेगा।**

11. कार्य एजेंसी का निर्धारण एवं कार्यः— उप/सहायक संचालक उद्यान उद्यान विभाग कार्य एजेन्सी होंगे, कार्य एजेन्सी सहायक संचालक उद्यान उद्यानिकी विभाग को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के भांति से मजदूरी व सामग्री भुगतान के अधिकार प्रदाय किये जावेंगे एवं जिले में संचालित मनरेगा खाते से इलेक्ट्रानिक फंड मेनेजमेंट सिस्टम से राशि सीधे मजदूरों के खाते में व सामग्री प्रदाय कर्ता के खाते में राशि का स्थानांतरण किया जावेगा। कार्य एजेन्सी द्वारा स्वयं जॉबकार्ड धारियों की मांग संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम रोजगार सहायक के माध्यम से प्राप्त कर अनुसार ई–मस्टर जारी किये जावेंगे, मूल्याकंन उपरांत ई–एम.बी. पर दर्ज करते हुये भुगतान किया जावेगा।

12. पौध उत्पादन हेतु प्रजातियों का चयनः— आगामी वर्षों में मनरेगा योजना में किये जाने वाले वृक्षारोपण/फलपौधरोपण हेतु स्थानीय मॉग अनुसार पौधों का उत्पादन किया जा सकेगा। उत्पादित पौधों का उपयोग मनरेगा योजना से लगने वाले वृक्षारोपण कार्य में ही किया जा सकेगा।

13. डीपीआर का निर्माणः— डीपीआर का निर्माण मनरेगा योजना में पदस्थ सहायक संचालक उद्यान उद्यान विभाग/मनरेगा/उद्यानिकी सहायक के संयुक्त हस्ताक्षर से तैयार किया जावेगा।

14. तकनीकी स्वीकृति जारी किया जानाः— उप/सहायक संचालक उद्यान विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी की जावेगी।

15. प्रशासकीय स्वीकृति जारी किया जानाः— अभिसरण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति जिला कार्यक्रम समन्वयक कलेक्टर द्वारा जारी की जावेगी, प्रशासकीय स्वीकृति जारी कराने की जबाबदारी जिला पंचायत में पदस्थ सहायक संचालक उद्यान मनरेगा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की होगी।

16. कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जानाः— तकनीकी स्वीकृति कर्ता अधिकारी उप/सहायक संचालक उद्यान विभाग को कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार होगा।

17. मातृ—पौधे एवं अन्य आदान सामग्री की व्यवस्थाः— मध्यप्रदेश भंडार कय नियमों एवं मनरेगा परिषद/उद्यान विभाग(लाईन विभाग) द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशो का पालन करते हुये शासकीय/अर्द्धशासकीय/ सहकारी संस्थाओं से गुणवत्तापूर्ण आदान सामग्री की व्यवस्था कार्य एजेन्सी, सहायक/उप संचालक उद्याान उद्यान विभाग द्वारा की जावेगी। मातृ वृक्षों का कय केवल कृषि विश्वविद्यालय/अनुसंधान केन्द्र/शासकीय रोपणियों से ही किया जावेगा।

18. रोपणी में पौध उत्पादन कार्यः—

18.1 न्यूनतम प्रति नर्सरी 20000 पौधें उत्पादित कराये जावेगें जिसमें 1.5—2.00 फीट ऊॅचाई के 10000 एक वर्षीय व 3.5—5.00 फीट ऊॅचाई के 5000 द्वि वर्षीय व 7—9 फीट ऊॅचाई के 5000 तीन वर्षीय डीपीआर स्वीकृति अनुसार उत्पादित कराये जा सकेंगे।

18.2 अधिकतम उद्यानिकी विभाग की एक रोपणी से 1 लाख पौधों का उत्पादन आनुपातिक क्रम में कराया जा सकेगा।

18.3 वित्तीय वर्ष 2016—17 में 2—2.5 मीटर (7—9 फीट) ऊॅचाई के पौधों की आवश्यकता हेतु शासकीय नर्सरियों में वर्तमान में उपलब्ध छोटे पौधे नर्सरियों से शासकीय दरों पर क्रय कर उन्हें रोपणी में विकसित किया जा सकेगा।

18.4 **बीजू पौधों का उत्पादनः—** हितग्राहियों/विभिन्न योजनाओं की मांग अनुसार बीजू पौधें जामून, महूऑ, करौंदा, कटहल, नीबू, देसी आम, देसी ऑवला, मूनगा, सीताफल, इमली, बेर, करंज, नीम इत्यादि का उत्पादन किया जावेगा। पौध उत्पादन हेतु गुणवत्ता युक्त बीजों की व्यवस्था शासकीय संस्थाओं अथवा उत्तम गुणवत्ता के मातृ वृक्षों का चयन कर स्थानीय स्तर पर की जा सकेगी।

18.5 **कलमी पौधों का उत्पादनः—** हितग्राहियों/विभिन्न योजनाओं की मांग अनुसार कलमी पौधों का उत्पादन शासकीय रोपणी पर आम, अमरूद, नीबू, संतरा, मोसंबी, अनार, ऑवला, बेर, चीकू इत्यादि के मातृ वृक्षों के फलोद्यान में जिनमें कि उत्तम गुणवत्ता वाले फल आना प्रारंभ हो गए हो सत्यापन उपरांत कलमी पौधों का उत्पादन कराया जावेगा।

18.6 उत्तम गुणवत्ता के फलों व मातृ वृक्षों का प्रमाणीकरण उप/सहायक संचालक उद्यान विभाग, उद्यानिकी सहायक मनरेगा, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी/ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

18.7 उपरोक्तानुसार विकसित रोपणी में उत्पादित पौधों का उपयोग मनरेगा की अन्य योजनाओं नंदन फलोद्यान, ग्रामवन, शैलपर्ण, हरियाली चुनरी इत्यादि में किया जा सकेगा।

18.8 मनरेगा रोपणी पर जो भी पौधे उत्पादित किये जावेंगे उनका शत प्रतिशत कय उद्यान विभाग, बांस मिशन, वाटरशेड व मनरेगा की विभिन्न योजनाओं में किया जावेगा, इस हेतु

एक समझौता अनुबंध का निष्पादन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत व उद्यान विभाग के मध्य किया जावेगा।

18.9 मनरेगा रोपणी पर पौधे उपलब्ध होने की स्थिती में मनरेगा योजनांतर्गत उक्त पौधों का अन्य संस्थाओं से क्रय करने पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा।

19. कार्य का नरेगा सॉफ्ट में फोटो अपलोड करनाः— योजना में मातृ वृक्ष रोपण एवं पौध उत्पादन कार्य का प्रारंभ होने के पूर्व का फोटो एवं प्रत्येक वर्ष की स्थिती एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति का फोटो अनिवार्यतः फाइल में लगाया जावेगा।

20. मॉनीटरिंग व रिपोर्टिंगः—

20.1 संभागीय प्रबंधंक मनरेगा द्वारा संभाग स्तर पर परियोजना अधिकारी मनरेगा एवं उप/सहायक संचालक उद्यान उद्यान विभाग/सहायक उद्यानिकी मनरेगा के साथ प्रत्येक माह बैठक का आयोजन किया जायेगा, संपूर्ण योजना के क्रियान्वयन में सतत मॉनीटरिंग करते हुये योजना की सफलता हेतु पूर्ण प्रयास किये जावेंगे।

20.2 जिला स्तर पर उप/सहायक संचालक उद्यान उद्यान विभाग एवं मनरेगा, उद्यानिकी अधिकारी के संयुक्त उपस्थिती में उद्यान विकास अधिकारी व वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी के साथ प्रत्येक माह बैठक आयोजित की जावेगी।

20.3 प्रत्येक बैठक में की गई कार्यवाही के आधार पर पालन प्रतिवेदन से स्टेट नोडल अधिकारी उद्यानिकी मनरेगा परिषद भोपाल एवं संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी को अवगत कराया जावेगा।

20.4 योजना की सफल मॉनीटरिंग हेतु जिलेवार नोडल अधिकारी नियुक्त किये जावेंगे, जिनके नाम, पद, पदस्थापना स्थल, मोबाइल नंबर से सभी को अवगत कराया जावेगा।

प्रतिवर्ष राज्य स्तर से 5 प्रतिशत तक जिला पंचायत स्तर से कम से कम 50 प्रतिशत जनपद स्तर से 100 प्रतिशत कार्यों की गुणवत्ता व समयबद्व क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग हेतु फील्ड का भ्रमण किया जावेगा।

उपरोक्त कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिये वित्तीय वर्ष 2015—16 हेतु प्रारंभिक तैयारी का समय पर्याप्त न होने से पृथक से कैलेण्डर तैयार किया गया जो परिशिष्ट—अ में दर्शित है, वर्ष 2016—17 हेतु वार्षिक कैलेण्डर परिशिष्ट—ब में दर्शित है। मनरेगा से विकसित की जाने वाली रोपणी का मॉडल प्राक्कलन परिशिष्ट—1 एवं 2 पर सलग्न है, जो कि पूर्णतः मार्गदर्शी व सांकेतिक है। प्रत्येक जिला आवश्यकतानुसार/योजना के प्रावधान अनुसार उद्यानिकी व मनरेगा विभाग के सहयोग से जिले की परिस्थिति अनुसार वास्तविक प्राक्कलन तैयार करा सकते है।

दोनों विभागों के अभिसरण से तैयार की गयी कार्ययोजना का क्रियान्वयन निर्धारित कैलेण्डर अनुसार पौधों की उत्तर जीवितता एवं लक्ष्य अनुसार पौध उत्पादन केन्द्रित करते हुए सुनिश्चित किया जाए।

संलग्न :— परिशिष्ट अ, ब एवं 1 एवं 2।

(एम. एस. धाकड़)
आयुक्त—सह संचालक
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

(स्मिता भारद्वाज)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

पृ.क्र./6719 /MGNREGS -MP/NR-3/2015 भोपाल, दिनांक 27/06/2015

प्रतिलिपि :

1. अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल।
2. स्टेट नोडल ऑफीसर वृक्षारोपण/उद्यानिकी मनरेगा परिषद् पर्यावास भवन भोपाल।
3. समस्त संयुक्त संचालक उद्यान, संभाग .....
4. समस्त उप/ सहायक संचालक उद्यान जिला.....

(एम. एस. धाकड़)
आयुक्त–सह संचालक
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

(स्मिता भारद्वाज)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

परिशिष्ट–अ

वर्ष 2015–16 हेतु उद्यानिकी विभाग से अभिसरण फल पौध रोपण वार्षिक कैलेण्डर

क्र	गतिविधियों का विवरण	अवधि कब तक	जिम्मेदार एजेंसी
1	**क्लस्टर एवं हितग्राहियों का चयन**		
1.1	ग्राम पंचायत/क्लस्टर क्षेत्र का चयन करना	जून–जुलाई 2015	उद्यान विभाग/मनरेगा/जि.पं.
1.2	हितग्राही चयन,एस.ओ.पी. में शामिल करना, प्रजातियों का चयन, आवेदन प्राप्त करना, तकनीकी स्वीकृति व प्रशासकीय स्वीकृति जारी करना।	जून–जुलाई 2015	ग्रा.उ.वि.अ./व.उ.वि.अ./उ.स. मनरेगा/ग्रा.पं.स.स./स.सं.उद्यान /स.सं.मनरेगा/मु.का.जिला पंचायत/कलेक्टर
2	**नर्सरी स्थापना पौध उत्पादन संबंधी कार्य**		
2.1	हितग्राही/स्वासहायता समूह/उद्यान विभ द्वारा नर्सरी की तैयारी, नर्सरी स्थल का चयन, पानी की व्यवस्था, नर्सरी शेड का निर्माण व अन्य सामग्री की व्यवस्था डीपीआर अनुसार, फेंसिंग व कार्य प्रारंभ	जून–जुलाई 2015	चयनित एसएचजी/ हितग्राही ग्रा.उ.वि.अ./व.उ.वि.अ./उ.स. मनरेगा/स.सं.उद्यान./स.सं. मनरेगा/मु.का.जिला पंचायत
2.2	नर्सरी में पॉलिथिन बैगों की भराई व सीधे बीज बुवाई सुनिश्चित करना,	जून–जुलाई 2015	चयनित एसएचजी/ हितग्राही/ उ.वि.अ./व.उ.वि.अ./उ.स. मनरेगा/ग्रा.पं.स.स./स.सं.उद्यान /स.सं.मनरेगा/मु.का.जिला पंचायत
2.3	नर्सरी में निदांई गुडाई, सफाई, नियमित सिंचाई व अन्य प्रबंधन कार्य	अगस्त से जनवरी तक 2016	चयनित एसएचजी/ हितग्राही/ वि.वि./उद्यान विभाग/मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
2.4	छोटी पोलेथिन बैग से बड़े पोलेथिन बैग में पौधों का हस्तांतरण करना व निदांई, गुडाई, सफाई, सिंचाई, छाया व अन्य प्रबंधन कार्य। (ब) रोड साईड वृक्षारोपण स्थल कार्य – सर्वे, स्थल की सफाई, कीटनाशन दवाओं का क्रय	फरवरी–मॉर्च 2016	चयनित एसएचजी/ हितग्राही/ वि.वि./उद्यान विभाग/मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी

2.5	पोलेथिन बेग की सिफटिंग, बडी पोलेथिन में स्थानांतरण, निदांई, गुडाई, खाद, उर्वरक प्रदाय, दवा का छिडकाव,कटिंग–छटिंग, पौधों को सहारादेना, सफाई, सिंचाई, छाया व अन्य समस्त प्रबंधन	अप्रैल से जून 2016	चयनित एसएचजी / हितग्राही / वि.वि. / उद्यान विभाग / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
3	**वृक्षारोपण कार्य**		
3.1	गड्डो की खुदाई	जून–जुलाई 2015	हितग्राही / ग्रा.वि.वि. / उद्यान विभाग / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
3.2	गड्डो की खुदाई गड्डो में दवा का प्रयोग एवं फेंसिग व्यवस्था हेतु लोकल ईको फ्रेंडली सामग्री की व्यवस्था।	जून–जुलाई 2015	हितग्राही / ग्रा.वि.वि. / उद्यान विभाग / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
3.3	गोबर की खाद एवं अन्य रासायनिक उर्वरक का क्रय	जून–जुलाई 2015	हितग्राही / ग्रा.वि.वि. / उद्यान विभाग / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
3.4	गड्डो की भराई एवं हितग्राहियों / अधिकारियों का प्रशिक्षण	जून–जुलाई 2015	हितग्राही / ग्रा.वि.वि. / उद्यान विभाग / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
3.5	पौधों का परिवहन एवं प्रत्यारोपण व फेंसिं निदांई गुडाई, सिंचाई व्यवस्था।	जून 2015 जुलाई 2015 अगस्त 2015	हितग्राही / ग्रा.वि.वि. / उद्यान विभाग / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
4	**संधारण कार्य हितग्राही द्वारा**		
4.1	पौधरोपण उपरांत सिंचाई, निंदाई–गुड़ाई, थाला निर्माण, मिट्टी चढ़ाना	अगस्त–सितम्बर	हितग्राही / ग्रा.वि.वि. / उद्यान विभाग / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
4.2	लगाये गए पौधों की सुरक्षा, निंदाई, गुंडाई, थाला बनाना, सहारा देना, दवाई, उर्वरक देना, कंटाई छंटाई, फेंसिग, सिंचाई सहित समस्त प्रबंधन कार्य।	अक्टूबर–जून	हितग्राही / ग्रा.वि.वि. / उद्यान विभाग / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी

परिशिष्ट–ब

उद्यानिकी विभाग से अभिसरण फल पौध रोपण वार्षिक कैलेंडर 2016–17 हेतु

क्र	गतिविधियों का विवरण	अवधि कब तक	जिम्मेदार एजेंसी
1	**क्लस्टर एवं हितग्राहियों का चयन**		
1.1	ग्राम पंचायत/क्लस्टर क्षेत्र का चयन करन	सितम्बर	रेशम विभाग/मनरेगा/जि.पं.
1.2	हितग्राही चयन,एस.ओ.पी. में शामिल करना, प्रजातियों का चयन, आवेदन प्राप्त करना, तकनीकी स्वीकृति व प्रशासकीय स्वीकृति जारी करना।	अक्टूबर	ग्राम पंचायत/ फील्ड अधिकारी रेशम विभाग/स्वयंसेवी संस्था/मनरेगा/मु.का.जिला पंचायत/कलेक्टर
1.3	चयन अनुसार वृक्षारोपण कार्य को ग्राम पंचायत के एसओपी में शामिल किया जाना।	अक्टूबर–नवम्बर	ग्रा.पं./जं.पं./जि.पं.
2	**नर्सरी स्थापना पौध उत्पादन संबंधी कार्य**		
2.1	स्वसहायता समूह द्वारा नर्सरी की तैयारी, नर्सरी का चयन, पानी की व्यवस्था, नर्सरी शेड का निर्माण व अन्य सामग्री की व्यवस्था डीपीआर अनुसार, फेंसिंग व कार्य प्रारंभ	नवम्बर	चयनित एसएचजी/ हितग्राही फील्ड अधिकारी रेशम विभाग/ स्वयंसेवी संस्था स.सं.मनरेगा/मु.का.जिला पंचायत
2.2	नर्सरी में पॉलिथिन बैगों की भराई	दिसम्बर– जनवरी	चयनित एसएचजी/ हितग्राही फील्ड अधिकारी रेशम विभाग/ स्वयंसेवी संस्था/स.सं.मनरेगा /मु.का.जिला
2.3	पॉलिथिन बैग में बीज बुवाई सुनिश्चित करना,	फरवरी–मार्च	चयनित एसएचजी/ हितग्राही/ स्वयंसेवी संस्था /रेशम विभाग/मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
2.4	नर्सरी में निदांई गुडाई, सफाई, नियमित सिंचा अन्य प्रबंधन कार्य	मार्च–अप्रैल–मई	चयनित एसएचजी/ हितग्राही/ स्वयंसेवी संस्था /रेशम विभाग/मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
2.5	छोटी पोलेथिन बैग से बड़े पोलेथिन बैग में पौधों का हस्तांतरण करना व निदांई, गुडाई, सफाई, सिंचाई, छाया व अन्य प्रबंधन कार्य। (ब) रोड साईड वृक्षारोपण स्थल कार्य – सर्वे, की सफाई, कीटनाशन दवाओं का क्रय	जून–जुलाई –अगस्त	चयनित एसएचजी/ हितग्राही/ स्वयंसेवी संस्था /रेशम विभाग /मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी

2.6	पोलेथिन बेग की सिफटिंग, बडी पोलेथिन बैग में स्थानांतरण, निदांई, गुडाई, खाद, उर्वरक प्रदाय, दवा का छिडकाव, कटिंग–छटिंग, पौधों को सहारा देना, सफाई, सिंचाई, छाया व समस्त प्रबंधन कार्य।	सितम्बर से जून	चयनित एसएचजी / हितग्राही / स्वयंसेवी संस्था /रेशम विभाग /मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
3	**वृक्षारोपण कार्य**		
3.1	गड्डो की खुदाई	फरवरी	हितग्राही / रेशम अधिकारी /स्वयंसेवी संस्था / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
3.2	गड्डो की खुदाई गड्डो में दवा का प्रयोग एवं फेंसिग व्यवस्था हेतु लोकल ईको फ्रेडली सामग्री की व्यवस्था।	मार्च	हितग्राही / रेशम अधिकारी /स्वयंसेवी संस्था / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
3.3	गोबर की खाद एवं अन्य रासायनिक उर्वरक का क्रय	अप्रैल	हितग्राही / रेशम अधिकारी /स्वयंसेवी संस्था / मनरेगा उद्यानिकी
3.4	गड्डो की भराई एवं हितग्राहियों / अधिकारियों का प्रशिक्षण	मई	हितग्राही / रेशम अधिकारी /स्वयंसेवी संस्था / मनरेगा उद्यानिकी
3.5	पौधों का परिवहन एवं प्रत्यारोपण व फेंसिग, निदांई गुडाई, सिंचाई व्यवस्था।	जून जुलाई अगस्त	हितग्राही / रेशम अधिकारी /स्वयंसेवी संस्था / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
4	**संधारण कार्य हितग्राही द्वारा**		
4.1	पौधरोपण उपरांत सिंचाई, निंदाई–गुड़ाई, थाला निर्माण, मिट्टी चढ़ाना	अगस्त–सितम्बर	हितग्राही / रेशम अधिकारी /स्वयंसेवी संस्था / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
4.2	लगाये गए पौधों की सुरक्षा, निंदाई, गुंडाई, थाला बनाना, सहारा देना, दवाई, खाद उर्वरक कंटाई छंटाई, फेंसिग, सिंचाई सहित समस्त प्रबंधन कार्य।	अक्टूबर–जून	हितग्राही / रेशम अधिकारी /स्वयंसेवी संस्था / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी

मॉडल प्राक्कलन एक्शन प्लान अंतर्गत प्रस्तावित नर्सरी, रोपणी विकसित हेतु प्रस्तावित व्यय प्रति 20000 पौध

उत्पादन व्यय पत्रक

कार्य योजना का नाम का नाम – वृक्षारोपण हेतु पौध उत्पादन कार्य ग्राम पंचायत का नाम –
प्रस्तावित खसरा नंबर रकवा 0.10 हेक्टेयर भूमि पर
चयनित पौधे – हितग्राही की मांग अनुसार.....

कुल पौध उत्पादन संख्या लक्ष्य– 20000 (1 वर्षीय प्लान अंतर्गत 1.5 से 2 फीट ऊंचाई के– 10,000 पौधें)
(2 वर्षीय प्लान अंतर्गत 3.5 से 5 फीट ऊंचाई के– 5,000 पौधें)
(3 वर्षीय प्लान अंतर्गत 7 से 9 फीट ऊंचाई के– 5,000 पौधें)

नोट– **20000 पौधों के उत्पादन हेतु 25000 पौधे उत्पादन की तैयारी करना प्रस्तावित**

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी (रू)	लागत सामग्री (रू)	योग (रू)	
	12 25 सेमी की थैली हेतु कुल 25000 थैली हेतु।						
1	पॉलीथिन बैग रखने हेतु ट्रेंचों की खुदाई 30×1×0.25 मीटर = 7.5 घन मीटर	73.80 प्रति घनमीटर 553 प्रति ट्रेंच	5 ट्रेंच (1 ट्रेंच में 5000 थैली)	2765	–	2765	
	ट्रेंचों में बिछाने हेतु मलचिंग शीट 40 माइकोन 1.2 मी चौडाई की क्रय	8 रू रनिंग मीटर	200	–	1600	1600	
2	पॉलीथिन बैग क्रय (1 किलो में 200 बैग 12×25 सेमी आकार के) कुल 0.25 लाख बैग	196 प्रति किलो	1.25 क्विंटल	–	24500	24500	
3	**गोबर की खाद** 0.25 लाख पौधेहेतु	1500 प्रति ट्रॉली	2 ट्राली	–	3000	3000	
4	**मिट्टी का परिवहन** 0.25 लाख पौधे हेतु	800 रू प्रति ट्रॉली	2 ट्राली	800	800	1600	
5	**रेत परिवहन**	4000 प्रति 100 फिट	0.4 ट्राली	–	1600	1600	
7	**सिंगल सुपर फास्फेट**	6.6 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	165	165	
8	**म्यूरेट आफ पोटास**	17.80 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	445	445	
9	**यूरिया**	6 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	150	150	

	/विद्युत बिल लगातार 10 माह						
26	क्यारी से पौधों का ट्रक लोडिंग	25 पैसे प्रति पौधा	10000	2500	–	2500	
	प्रथम वर्ष का योग			**85445**	**49938**	**135383**	उपरोक्तानुसार एक वर्ष में 6.76 रु. प्रति पौधा व्यय से 1.5–2 फीट ऊँचाई के पौधें तैयार होंगे। जिनमें से 50 प्रतिशत पौधें 10000 हितग्राही मनरेगा योजना में उपलब्ध करायेगा। शेष 10000 आगामी वर्ष में उत्पादन में लेगा।
	द्वितीय वर्ष पर व्यय						
	20 30 सेमी की थैली हेतु कुल 10000 थैली 3.5–5 फीट ऊँचाई के पौधे उत्पादन पर 12500 पौधें उत्पादित किया जाना व्यय						
1	पॉलीथिन बैग रखने हेतु ट्रेंचों की खुदाई 30×1×0.25 मीटर = 7.5 घन मीटर	73.80 प्रति घनमीटर 553 प्रति ट्रेंच	7 ट्रेंच (1 ट्रेंच में 2000 थैली)	3871	–	3871	
2	ट्रेंचों में बिछाने हेतु मलचिंग शीट 40 माइकोन 1.2 मी चौडाई की कय	8 रू रनिंग मीटर	224	–	1798	1798	
3	पॉलीथिन बैग कय (1 किलो में 100–120 बैग 20×30 से.मी. आकार के) कुल 12500 बैग	196 रू किलो	1.25 क्विंटल	–	24500	24500	
4	**गोबर की खाद** 12500 पौधे हेतु	1500 प्रति ट्रॉली	2 ट्राली	–	3000	3000	
5	**मिट्टी का परिवहन** 12500 पौधे हेतु	800 रू प्रति ट्रॉली	2 ट्राली	800	800	1600	
6	**रेत परिवहन**	4000 प्रति 100 फिट	0.4 ट्राली	–	1600	1600	
7	**सिंगल सुपर फास्फेट**	6.6 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	165	165	
8	**म्यूरेट आफ पोटास**	17.80 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	445	445	
9	**यूरिया**	6 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	150	150	
10	**नीम की खली**	20 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	500	500	
11	**हड्डी का चूरा (बोर्न मील)**	20 रू किलो	25 किलो	–	500	500	
12	**क्लोरापायरीफास**	214 प्रति लीटर	1 लीटर	–	214	214	

13	**बाबिस्टीन**	391 प्रति किलो	0.5 किलो	–	200	200	
14	**मेंन्कोजेब**	216 प्रति किलो	0.5 किलो	–	150	150	
15	**सीओसी**	240 प्रति किलो	0.5 किलो	–	150	150	
16	**रिडोमिल**	1500 रू किलो	1 किलो	–	1500	1500	
17	**ट्राईकोडर्मा**	164 प्रति किलो	1 किलो	–	164	164	
19	**प्लांट ग्रोथ हार्मोन**	132 प्रति किलो	2 किलो	–	264	264	
20	खाद मिट्टी का मिश्रण बनाकर पॉलीथिन बैग भरकर 12×25 सेमी बैग में तैयार पौधों को 20×30 सेमी की थैली में पुनः लगाना जून 2015 माह में)	92 पैसे प्रति पौधा 0.7 मानव दिवस प्रति सैकडा	12500	11500	–	11500	
21	**बीज बुआई उपरांत पॉलीथिन बैगों की सिंचाई/निदाई/ गुडाई, दवा स्प्रे एवं संपूर्ण देखरेख बडिंग, ग्राफ्टिंग सहित लोडिंग चौकीदारी**	1 श्रमिक प्रति दिन औसत लगातार 12 माह, 157 प्रति दिवस	365 श्रमिक (सितंबर से जून 2016 तक)	57305	–	57305	
22	जनरेटर सैट किराया/डीजल व्यय /विद्युत बिल लगातार 10 माह	600 प्रति माह	10	–	6000	6000	
23	क्यारी से पौधों का ट्रक लोडिंग	50 पैसे प्रति पौधा	5000	2500	–	2500	
	महायोग–			**75976**	**42100**	**118076**	उपरोक्तानुसार दो वर्ष में 18.56 रु. प्रति पौधा व्यय से 3.5–5 फीट ऊँचाई के पौधें तैयार होंगे। जिनमें से 50 प्रतिशत पौधें 5000 हितग्राही मनरेगा योजना में उपलब्ध करायेगा। शेष 5000 आगामी वर्ष में उत्पादन में लेगा।
	तृतीय वर्ष पर व्यय						
	30×40 सेमी की थैली हेतु कुल 5000 पौधे उत्पादन हेतु 6250 पौधों की तैयारी 7–9 फीट ऊँचाई पर व्यय						
1	पॉलीथिन बैग रखने हेतु ट्रेंचों की खुदाई 30×1×0.25 मीटर = 7.5 घन मीटर	73.80 प्रति घनमीटर 553 प्रति ट्रेंच	7 ट्रेंच (1 ट्रेंच में 1000 थैली)	3871	–	3871	
2	ट्रेंचों में बिछाने हेतु मलचिंग शीट 40 माइकोन 1.2 मी चौडाई की कय	8 रू रनिंग मीटर	224	–	1798	1798	

3	पॉलीथिन बैग क्रय (1 किलो में 40–50 बैग 30×40 से.मी. आकार के) कुल 6250 बैग	196 रू किलो	1.5 क्विंटल	–	29400	29400	
4	**गोबर की खाद** 6250 पौधे हेतु	1500 प्रति ट्रॉली	2 ट्राली	–	3000	3000	
5	**मिट्टी का परिवहन** 6250 पौधे हेतु	800 रू प्रति ट्रॉली	2 ट्राली	1600	1600	3200	
6	**रेत परिवहन**	4000 प्रति 100 फिट	0.4 ट्राली	–	1600	1600	
7	**सिंगल सुपर फास्फेट**	6.6 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	165	165	
8	**म्यूरेट आफ पोटास**	17.80 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	445	445	
9	**यूरिया**	6 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	150	150	
10	**नीम की खली**	20 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	500	500	
11	**हड्डी का चूरा (बोर्न मील)**	20 रू किलो	25 किलो	–	500	500	
12	**क्लोरापायरीफास**	214 प्रति लीटर	1 लीटर	–	214	214	
13	**बाबिस्टीन**	391 प्रति किलो	0.5 किलो	–	200	200	
14	**मेंन्कोजेब**	216 प्रति किलो	0.5 किलो	–	150	150	
15	**सीओसी**	240 प्रति किलो	0.5 किलो	–	150	150	
16	**रिडोमिल**	1500 रू किलो	1 किलो	–	1500	1500	
17	**ट्राईकोडर्मा**	164 प्रति किलो	1 किलो	–	164	164	
19	**प्लांट ग्रोथ हार्मोन**	132 प्रति किलो	2 किलो	–	264	264	
20	खाद मिट्टी का मिश्रण बनाकर पॉलीथिन बैग भरकर 20×30 सेमी बैग में तैयार पौधों को 30×40 सेमी की थैली में पुनः लगाना जून 2016 माह में)	1.5 रु.प्रति पौधा 0.7 मानव दिवस प्रति सैकडा	6250	9375	–	9375	
21	**बीज बुआई उपरांत पॉलीथिन बैगों की सिंचाई/निदाई/ गुडाई, दवा स्प्रे एवं संपूर्ण देखरेख मय लोडिंग चौकीदारी**	1 श्रमिक प्रति दिन औसत लगातार 12 माह, 157 प्रति दिवस	365 श्रमिक (सितंबर से जून 2017 तक)	57305	–	57305	
22	जनरेटर सैट किराया/डीजल व्यय /विद्युत बिल लगातार 10 माह	600 प्रति माह	10	–	6000	6000	
23	क्यारी से पौधों का ट्रक लोडिंग	1 रु. प्रति पौधा	5000	5000	–	5000	
	तृतीय वर्ष का योग–			**77151**	**47800**	**124951**	उपरोक्तानुसार तीन वर्ष में 43.55 रु. प्रति पौधा व्यय से 7–9 फीट ऊँचाई के पौधें तैयार

							होंगे। जो सभी मनरेगा योजना में प्रदाय किये जावेगें
	महायोग–			**238572**	**139838**	**378410**	

मजदूरी पर व्यय – 238572 (योजना का 61.00 प्रतिशत)

सामग्री पर व्यय – 139838 (योजना का 35.5 प्रतिशत)

कन्टनजेंसी व्यय – 13500 (योजना का 3.5 प्रतिशत)

प्रस्तावित योजना अनुसार

कुल व्यय – **391913**

मनरेगा रोपणी से शासकीय रोपणियों को प्राप्त आय

वर्ष	प्रति पौधा व्यय	उत्पादित पौधे	अगले वर्ष उत्पादन हेतु उपयोग	मनरेगा में प्रदाय अथवा विक्रय योग्य पौधे	विक्रय पौधे की शासकीय दरे	पौध उत्पादन में व्यय	शेष प्रदाय राशि पौध प्रदायगी पर	शुद्ध लाभ	रिमार्क
एक वर्षीय (1.5–2 फीट)	6.76	20000	10000	10000	13.50	6.76	6.74	67400	प्रथम वर्ष में प्राप्त
दो वर्षीय (3.5–5 फीट)	18.56	10000	5000	5000	30.00	18.56	11.44	57200	द्वितीय वर्ष में प्राप्त
तीन वर्षीय (7–9 फीट)	43.55	5000	–	5000	100.00	43.55	56.45	282250	तृतीय वर्ष में प्राप्त
योग–	–	–	15000	20000	–	–	–	406850	